उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या– 1109 /VII-A-1/2022-05(22)/2020
देहरादूनः दिनांक 30 नवम्बर, 2022

कार्यालय आदेश

रिवर ट्रेनिंग नीति के जनपद स्तर पर पूर्व स्वीकृत अनुज्ञाओं, जो अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत की गई अनुज्ञा के सापेक्ष जमा की गई आंशिक अथवा पूर्ण रॉयल्टी धनराशि के उपरान्त निर्गत कार्यादेश के बाद भी विभागीय त्रुटि अथवा अपरिहार्य कारणवश समय पर खनन कार्य न प्रारम्भ होने की स्थिति में समयावधि की मांग, जनपद स्तर पर स्वीकृत अनुज्ञा अवधि के सापेक्ष विहित अवधि का समय न मिल पाने के कारण उपखनिज की अवशेष मात्रा की निकासी की मांग, जमा धनराशि के सापेक्ष विहित अवधि के खनन कार्य की अवधि को बढाये जाने की मांग से सम्बन्धित शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों में प्रभावी रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 के नियम–11 में शासन को प्रदत्त स्पष्टीकरण एवं शिथिलीकरण के प्राधिकार के अन्तर्गत निम्न प्रकृति के मामलों को ही व्यवहृत किया जायेगा तथा तदनुसार शासन स्तर से सम्यक् परीक्षणोपरान्त वांछित अनुमतियां प्रदान किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जाय–

1. वर्तमान नीति के प्रख्यापन से पूर्व के ऐसे लम्बित प्रकरणों, जिनमें अनुज्ञाधारक द्वारा सम्पूर्ण रॉयल्टी धनराशि समस्त देयकों सहित विभागीय लेखा–शीर्षक में पूर्व में तत्समय ही जमा कर दी गयी हो तथा सम्बन्धित के पक्ष में निर्गत कार्यादेश के बाद भी विभागीय त्रुटि अथवा अपरिहार्य कारणवश समय पर उपखनिज की निकासी का कार्य प्रारम्भ न हो सका हो, में तत्समय प्रचलित नीति के अनुरूप विहित समयावधि के समतुल्य अवधि ही प्रश्नगत क्षेत्र/अनुज्ञा के रिक्त होने की दशा में उपखनिज की निकासी के लिये प्रदान की जायेगी।

   ऐसे मामलों में वर्तमान समय में उपखनिज की मात्रा का वास्तविक आंकलन जनपद स्तर पर गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा करते हुये बढ़ी हुई मात्रा के सापेक्ष ही अतिरिक्त रॉयल्टी धनराशि आदि जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. ऐसे लम्बित प्रकरण, जिनमें अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत की गई अनुज्ञा के सापेक्ष अनुज्ञाधारक द्वारा सम्पूर्ण वांछित धनराशि के सापेक्ष न्यूनतम रूप से रॉयल्टी की 25 प्रतिशत धनराशि विभागीय लेखा–शीर्षक में जमा करायी गई हो, में सम्बन्धित क्षेत्र/स्थल पर जमा मलवे/आर0बी0एम0 की निकासी का कार्य अत्यन्त अपरिहार्य होने हेतु जनपद स्तर पर गठित संयुक्त निरीक्षण समिति की आख्या तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति पर अनुज्ञाधारक द्वारा अवशेष रॉयल्टी धनराशि जमा करने के उपरान्त अधिकतम 03 माह की अवधि के लिये ही प्रश्नगत क्षेत्र/अनुज्ञा के रिक्त होने की दशा में उपखनिज की निकासी की अनुमति प्रदान की जायेगी।

3. ऐसे लम्बित प्रकरण, जिनमें अनुज्ञाधारक को तत्समय प्रचलित नीति में विहित अधिकतम समयावधि से अत्यन्त न्यून अवधि (02 माह से कम) के लिये उपखनिज की निकासी का कार्य सुलभ हुआ हो, परन्तु ऐसे अनुज्ञाधारक द्वारा सम्पूर्ण रॉयल्टी धनराशि समस्त देयकों सहित विभागीय लेखा–शीर्षक में पूर्व में ही जमा करायी गयी हो, में प्रश्नगत क्षेत्र/अनुज्ञा के रिक्त होने की दशा में अवशेष उपखनिज की मात्रा की निकासी कार्य हेतु अधिकतम 02 माह का समय ही प्रदान किया जायेगा।

Letter

ऐसे मामलों में सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा उपखनिज निकासी की अवशेष मात्रा का ही उठान एवं नियत समयावधि का पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. ऐसे प्रकरण, जिनमें अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत की गई अनुज्ञा के सापेक्ष अनुज्ञाधारक द्वारा रॉयल्टी की 25 प्रतिशत धनराशि से कम धनराशि ही जमा करायी गई हो, में जमा धनराशि को जब्त कर प्रकरण निक्षेपित कर दिया जाय।

5. उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 अथवा पूर्व नीति के अनुसार स्वीकृत अनुज्ञा के मामलों में ऐसे अनुज्ञाधारक, जिनके द्वारा अनुज्ञा की शर्त के अनुसार अनुज्ञा स्थल पर आंगणित उपखनिज के सापेक्ष देय रॉयल्टी जमा नहीं कराई गयी हो, के समय विस्तार के आवेदन/प्रस्तावों पर विचार नं किया जाय और इस चिन्हित स्थल पर नीति के अनुसार विज्ञापित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6. उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 अथवा पूर्व नीति के अनुसार स्वीकृत अनुज्ञा के मामलों में ऐसे अनुज्ञाधारक, जिनके द्वारा अनुज्ञा की शर्तो के अनुसार अनुज्ञा स्थल पर आंगणित उपखनिज के सापेक्ष देय रॉयल्टी जमा कर ली गयी हो और किसी औचित्यपूर्ण कारणों के अनुज्ञा अवधि में अनुज्ञाधारक द्वारा कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पाया हो तथा उसके द्वारा आगामी समय विस्तार का आवेदन दिया गया हो, तो इस स्थिति में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आपदा की रोकथाम/न्यूनीकरण के लिए मलवे/उपखनिज का निस्तारण अपरिहार्य घोषित किये जाने की स्थिति में जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा नीति के अनुसार समिति द्वारा पुनः अनुज्ञा स्थलीय निरीक्षण करा कर उप खनिज की मात्रा का आंकलन कर तद्नुसार रॉयल्टी व अन्य देयकों का आंकलन व अनुज्ञा अवधि का पुनः निर्धारण किया जायेगा एवं समिति द्वारा उप खनिज की मात्रा का आंकलन कर मलवा उठान की अवधि के निर्धारण के आधार पर ही समय विस्तार के मामलों में विचार कर अनुमति प्रदान की जायेगी।

अतः उक्तानुसार निर्धारित मापदण्ड व दिशा–निर्देशों के अनुरूप औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत व्यवहृत प्रकरणों का शासन स्तर से तद्नुसार सम्पादन/निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाय।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्या–1109 (1)/VII-A-1/22–05(22)2020 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला खान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

Letter

Scanned with CamScanner